B.A. Part I

(Water Resources)

किसी देश की आर्थिक विकास उस देश के प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करती है। प्राकृतिक साधनों की सामूहिक शक्ति ही देश के आर्थिक विकास की क्षमता एवं प्रकृति निर्धारित करती है। किसी देश में जो साधन प्रचुर मात्रा में विद्यमान है उस देश में आर्थिक विकास की अवसर [illegible] है परन्तु यह उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता मात्र से किसी देश का आर्थिक विकास नहीं हो जाता, क्योंकि प्राकृतिक साधन निष्क्रिय होते हैं। इन्हें अपने आप आर्थिक विकास के आधार नहीं बना सकते। वैज्ञानिक तकनीकी और तकनीक प्रयोग के द्वारा उनके विदोहन और उपयोग की आवश्यकता पड़ती है।

किसी भी प्राकृतिक साधन में water का गुण है। अत्यधिक साधन है जल संसाधनों की कुछ विशेषताएँ होती हैं। [illegible] एवं अनोखा गुण एवं विशेषता पाए जाते हैं।

आज के वैज्ञानिक युग में जल संसाधनों का महत्व, आर्थिक विकास में जल संसाधनों का योगदान, जल संसाधनों का संरक्षण, जल संसाधनों का [illegible] जल संसाधनों का विकास महत्व है।

संक्षेप में जल संसाधनों के महत्व का वर्णन निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर किया जा सकता है:-

कृषि में योगदान महत्व

औद्योगिक महत्व

कृषि एवं औद्योगिक विकास

[illegible]

आंतरिक जल परिवहन का विकास

[illegible]

भारत में संघीय न्यायालय दो प्रमुख भागों में विभाजित है

1. सुप्रीम न्यायालय
2. राज्य उच्च न्यायालय

इन दोनों न्यायालयों के विकास हेतु
निम्न प्रकार से संविधान के भाग 5 में
अनुच्छेद 124 से 147 तक उपबंध किया गया है।

1. केन्द्रीय न्याय आयोग
2. केन्द्रीय सुप्रीम न्यायपीठ
3. राष्ट्रीय जल विवाद अधिकरण
4. राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद
5. राष्ट्रीय जल बोर्ड
6. राज्य उच्च राष्ट्रीय जल सुरक्षा न्यायालय परिषद
7. विशेष जल परिषद

प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी की
अध्यक्षता में 1 April 2002 को नई दिल्ली में
National water Resource Council की पाँचवी
बैठक में National water Policy 2002 को
मंजूरी प्रदान की थी। इसी राष्ट्रीय जल नियंत्रण
water policy के तहत 1987 के जल नीति
को ही संशोधित एवं परिवर्तित किया है
इस प्रकार यह है कि उच्च न्यायालय
1950 के संविधान के अनुच्छेद 214 के
अन्तर्गत स्थापित किये जाते हैं।

Prof. Dr. Ramesh Chandra Dubey
Jaipur